न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम)

कक्ष सं०-1, कन्नौज।

प्रकीर्ण दाण्डिक वाद संख्या-90/2026

(CNR No-UPKJ01-000770-2026)

राज्य प्रति राजवीर

मुकदमा अपराध संख्या-147/2022

धारा-138 (1)B भारतीय विद्युत अधिनियम

थाना-एंटी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज।

दिनांक-14.03.2026

पत्रावली पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या पर वादी मुकदमा की अनापत्ति के पश्चात आज दिनांक 14.03.2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत में आदेशार्थ पेश हुई।

उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत पुलिस अंतिम रिपोर्ट में वादी मुकदमा को नोटिस जारी की गई। वादी मुकदमा द्वारा स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो पत्रावली में शामिल है। उक्त रिपोर्ट में यह तथ्य उल्लिखित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त द्वारा समस्त राजस्व निर्धारण तथा शमन शुल्क अदा कर दिया गया है, जिसके आलोक में अन्तिम रिपोर्ट को स्वीकृत किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की है। वादी मुकदमा की उक्त रिपोर्ट की पुष्टि इस न्यायालय में कार्यरत विशेष लोक अभियोजन विद्युत अधिनियम द्वारा की गई है। वादी मुकदमा की अनापत्ति व केस डायरी एवं अन्य प्रपत्रों के परिशीलन के पश्चात प्रस्तुत **पुलिस अन्तिम रिपोर्ट संख्या-564/2025 दिनांकित 08.04.2025** स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी मुकदमा की ओर से प्रस्तुत किये गए प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में **पुलिस अन्तिम रिपोर्ट संख्या-564/2025 दिनांकित 08.04.2025** स्वीकार की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(हरि प्रसाद)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(विद्युत अधिनियम) कक्ष सं०-1, कन्नौज।

J.O.CODE-UP6489

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.03.14 12:44:30 IST
Reason: F,R Accepted in lok adalat
Location: A.District and Sessions Court
N0.1, Kannauj.